

**मैरठ विकास प्राधिकरण**

**की**

**34वीं बोर्ड बैठक**

**दिनांक 21-5-88**

**का**

**कार्यपाल**

## मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनांक 21-5-88

समय : प्रातः 11 बजे

स्थान : विकास भवन, "सभा कक्ष"

### उपस्थिति :

1- श्री वी० केंद्रीवान	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2- श्री कुंवर फतेहबहादुर	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3- श्री विजय शर्मा	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4- श्री शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, आवास, लखनऊ।	सदस्य
5- श्री जे० पी० भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।	सदस्य
6 श्री वी० एल० बालचन्दा	उपसचिव, वित्त विभाग	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की दिनांक 21-5-88 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

### कार्यवृत्त का विवरण

#### मद संख्या - 1

दिनांक 9-12-87 की बैठक के कार्यवृत्त की अध्यक्ष महोदय द्वारा पुष्टि की गयी।

दिनांक 20-10-87 को हुई बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या।

गढ़ रोड एवं परीक्षितगढ़ रोड को मिलाने वाले 120 फुट वाले मार्ग की योजना।

अधीक्षण अभियन्ता आवास विकास द्वारा बताया गया कि सड़क की सोलिंग का कार्य समाप्त हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति में है।

## **मेरठ महायोजना में जोन-7 में अनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों की समाप्ति ।**

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने यह राय दी कि इस क्षेत्र का पुनः विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाये विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण में जनसंख्या के हिसाब से सामुदायिक सुविधाओं तथा यातायात को दर्शाति हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः प्राधिकरण की बैठक में रखी जाये ।

## **मेरठ दिल्ली बाईपास मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर सुन्दरापुर पूठा मलियाना व डुंगरावली में प्रस्तावित औद्योगिक स्थान ।**

यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण तथा मुख्य ग्रामीण नियोजक इस क्षेत्र की सम्भावित योजना पर तथा भूमि के उपयोग किये जाने पर विचार-विमर्श कर रिपोर्ट आगामी बैठक में रखें ।

## **हापुड रोड पर बस स्टेन्ड की व्यवस्था ।**

आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा यह बताया गया कि शीघ्र ही भूमि की दर सूचित की जायेगी । यह निर्णय लिया गया कि बसों से लिये जाने वाली दर भी तय कर लिया जाये । उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मेरठ तथा बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इस बिषय में विचार-विमर्श कर लेवें । बस स्टेन्ड के लिये ले-आउट प्लान भी तैयार कराकर आगामी बैठक में रखा जाये ।

## **बिल्ट अप क्षेत्र में आच्छादन सीमा का पुनः निर्धारण ।**

शासन से प्राप्त नियमावली के प्राविधानों का सहयुक्त नियोजक मेरठ विकास प्राधिकरण के सहायक वास्तुविद तथा स्थानीय एसोसिएशन के सदस्य विचार-विमर्श कर लें और अपनी संस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।

## सरधना रोड स्थिति ग्राम नंगलाताशी व कासिमपुर में अधिग्रहण ।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20-10-87 के कुल एक हजार एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु ऋण लेने की अनुमति दी थी । बर्ष 87-88 में कुल 544-59 एकड़ भूमि के लिये ऋण प्राप्त किया गया है । शेष भूमि के लिये बर्ष 88-89 में अधिग्रहण हेतु हुड़को से ऋण लने की स्वीकृति दी गयी ।

## बर्ष 86-87 का पुनरीक्षित तथा बर्ष 87-88 का प्रस्तावित आय-व्ययक ।

पटेल मण्डल के बारे में सचिव, विकास प्राधिकरण जाँच करके अपनी आख्या पन्द्रह दिन में प्रस्तुत करेंगे ।

### मद सं०-२

## बर्ष 1987-88 का वास्तविक तथा बर्ष 1988-89 का प्रस्तावित आय-व्यय पर विचार ।

बर्ष 1987-88 के वास्तविक आकड़े तथा बर्ष 1988-89 के प्रस्तावित आय-व्यय पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया । विचारोपरान्त निम्न निर्देश दिये गये :-

1- किसी भी मद में व्यय उस सीमा तक ही किया जाये जितनी धनराशि तक आय व्ययक में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हो । यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियोंवश किसी मद में अधिक व्यय करना पड़े तो प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित करा लिया जाये जिसे आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर दिया जाये ।

2- वित्तीय अनुशासन के लिये यह आवश्यक है कि किसी योजना के समस्त मदों में व्यय नियन्त्रित हो । इसके लिये भूमि अध्यापि हेतु हुड़को से प्राप्त ऋण को बैंक के अलग खाते में रखा जाये । यदि किसी योजना में निर्माण/विकास कार्यों हेतु इस खाते से धन की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्व अनुमति उपाध्यक्ष से प्राप्त की जाये तथा योजना में धन उपलब्ध होने पर भूमि अध्यापि खाते से निकाली गयी धनराशि अबिलम्ब वापस कर दी जाये ।

**3-** चूँकि मेरठ विकास प्राधिकरण के पास पर्याप्त विकास शुल्क जमा नहीं है, अतः आडीटोरियम के निर्माण हेतु अभी कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं है। यदि कालान्तर में धन की उपलब्धता हो जाती है तो आडीटोरियम के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

**4-** पल्लवपुरम आवासीय योजना में निर्माणाधीन व्यवसायिक केन्द्र के प्रथम तल पर प्रस्तावित निर्माण न कराकर भूतल पर निर्मित दुकानों की तुरन्त नीलामी सुनिश्चित की जाये तथा ठेकेदार से निर्माण सम्बन्धी विवाद का निस्तारण किया जाये। बजट में प्रस्तावित अन्य दो व्यवसायिक केन्द्रों के निर्माण की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी तत्परता से की जाये। इन भूखण्डों पर जो भी निर्माण हो उस पर आर्किट्रैक्चरल नियन्त्रण प्राधिकरण का होगा।

**5-** बजट में प्रस्तावित कर्मचारियों को भवन निर्माण/भूखण्ड क्रय अग्रिम के मामलों को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये। अतः यह निर्णय लिया गया कि यह सुविधा शासन से अनुमति प्राप्त होने पर ही कर्मचारियों को देय होगी।

**6-** विकास भवन की कास्टिंग प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये भवन के विभिन्न तलों पर कितना क्षेत्रफल किराये पर देने के लिये उपलब्ध है तथा किराये की प्रतिवर्ग फुट दर क्या होगी आदि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की जाये। यह निर्णय लिया गया कि भवन आउट सैल न की जाये तथा निर्माण कार्य को अबिलम्ब पूरा कराया जाये। बेसमेन्ट तथा प्रथम तल को पूर्ण कराकर तत्काल किराये पर उठाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

**7-** प्राधिकरण के भवनों की भौतिक कब्जे की स्थिति पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि जिन आबंटियों ने अभी तक अपने भवन तथा भूखण्डों का कब्जा नहीं लिया है उनको कब्जा लेने हेतु एक माह का नोटिस भेज दिया जाये और यदि नोटिस प्राप्त होने के एक माह के भीतर कब्जा नहीं लेते हैं तो भवन/भूखण्ड की कीमत पर 6-25 प्रतिशत की दर से पीनल दण्ड लगाकर भवन/भूखण्ड की कीमत में वृद्धि वसूल कर ली जाये तथा दण्ड ब्याज का भुगतान तीन माह तक कर कब्जा नहीं लिया जाता है तो आबंटन

निरस्तीकरण की कार्यवाही पर विचार किया जाये। अन्त में बर्ष 87-88 में कुल प्राप्त आय (प्रारम्भिक अवशेष) को जोड़कर ₹० 2765-03 लाख तथा कुल व्यय 1892-17 तथा बर्ष 88-89 के प्रस्तावित आय-व्ययक में कुल आय ₹० 5369-10 लाख तथा कुल व्यय ₹० 5335-87 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

8- विकास शुल्क की धनराशि बैंक के अलग खाते में रखी जाये।

### मद संख्या - 3

बर्ष 84-85 तथा 85-86 की बैलेन्स शीट पर विचार।

बर्ष 84-85 तथा 85-86 की बैलेन्स शीट पर विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

### मद संख्या - 4

मेरठ विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त स्टाफ हेतु पद का सृजन।

क- विचार विमर्श के पश्चात प्राधिकरण में एक अभियन्त्रण खण्ड के सृजन की अनुमति दी गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि शासन के अनुमोदन के पश्चात ही नियुक्तियाँ की जाये।

ख- नियोजन अनुभाग में पद सृजन का प्रस्ताव।

नियोजन अनुभाग में एक सर्वे असिस्टेन्ट एवं ब्लू प्रिन्टर के पद सृजन के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि एक सर्वे असिस्टेन्ट को प्रतिनियुक्ति पर नगर नियोजन अनुभाग से माँग लिया जाये।

ग- मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु स्टाफ की स्वीकृति।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता के कार्यालय हेतु फिलहाल केवल एक आशुलिपिक तथा एक लिपिक के पद के सृजन की आवश्यकता है। एक आशुलिपिक एवं लिपिक के पद के सृजन

की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी तथा यह निर्देश दिया गया कि इन पदों के सूजन का प्रस्ताव शासन को अबिलम्ब प्रेषित कर दिया जाये ।

#### घ- भूमि अर्जन अनुभाग में पदों का सूजन ।

भूमि अर्जन अनुभाग में पदों की औचित्यता न पाते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ।

#### ड- अधिष्ठान अनुभाग में पद सूजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

चूँकि प्राधिकरण में एक पी०बी०एक्स० टेलीफोन स्थापित है और इस पी०बी०एक्स० पर किसी नियमित कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है । अतः एक टेलीफोन आपरेटर के पद का सूजन वेतनमान 340-550 में स्वीकृत किया गया जिसे शासन के अनुमोदनार्थ भेज दिया जाये ।

#### च- लेखानुभाग में पदों के सूजन हेतु प्रस्ताव ।

मुख्य लेखाधिकारी ने यह बताया कि प्राधिकरण में लागत लेखाकार का कोई पद स्वीकृत नहीं है । प्राधिकरण की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए एक लागत लेखाकार की आवश्यकता महसूस की गयी । तदनुसार रु० 1250-2050 के वेतनमान में एक लागत लेखाकार के पद सूजन की सहमति दी गयी है । यह निर्णय लिया गया कि कास्ट एकाउन्टेन्ट को कान्ट्रैक्ट पर निश्चित समय के लिये लिया जाये इस हेतु प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाये ।

#### छ- सम्पत्ति अनुभाग में पद सूजन हेतु प्रस्ताव ।

विचार विमर्श के पश्चात सम्पत्ति अनुभाग में पदों के सूजन की औचित्यता न पाते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ।

## **मद संख्या - 5**

**आौद्योगिक ईकाईयों को उत्तर प्रदेश फाईनेन्शियल कारपोरेशन से ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-12-87 के निर्णयानुसार जिन औद्योगिक ईकाईयों के द्वारा प्राधिकरण शर्तों को मानते हुए भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने मानचित्रों का समायोजन कर लिया गया था। उक्त औद्योगिक ईकाईयों को भवन मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात भी वित्त निगम द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है और इस सम्बन्ध में दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इन दोनों प्रस्तावों में से उ०प्र०वित्त निगम द्वारा केवल प्रस्ताव नं०-१ पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी। संयुक्त सचिव आवास अनुभाग द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव नं०-१ अर्जित भूमि को अर्जन से मुक्त के समान है और इसमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतः विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा संयुक्त सचिव, आवास एवं नगर विकास, प्रबन्ध निदेशक, य०पी०एफ०सी० से मिलकर मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के उपरान्त अपने स्तर से निर्णय ले लें। लिये गये निर्णय को प्राधिकरण की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत कर दें।

## **मद संख्या - 6**

**मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-12-87 में निर्धारित बाह्य विकास शुल्क पर पुनः विचार।**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-12-87 में आवासीय/ औद्योगिक क्षेत्र विकास शुल्क की निम्न दरें निर्धारित की गयी है :-

- 1- आवासीय/ औद्योगिक जहाँ आन्तरिक विकास कार्य रु० 60/- प्रति वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल तलपट मानचित्र के अनुरूप बिल्डर्स द्वारा कराया जाना पर हो।
- 2- भूखण्डवार (आवासीय/ औद्योगिक) आन्तरिक एवं रु० 105/- प्रति वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल बाह्य विकास कराया जाना हो। पर

उपरोक्त दरों में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न दरें तय की गयी हैं।

- 1- ओद्योगिक (जहाँ आन्तरिक विकास कार्य तलपट रु० 45/- प्रति वर्गमीटर ग्रास एरिया मानचित्र के अनुरूप बिल्डर्स द्वारा कराया जाना हो।) पर
- 2- भूखण्डवार (आवासीय/ औद्योगिक) आन्तरिक एवं रु० 80/- प्रति वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल बाह्य विकास कराया जाना हो। पर

आवासीय तथा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु विकास शुल्क की दरें पूर्ववत रहेंगी ।

### मद संख्या - 7

मानचित्र सं०- 6834 की भूमि को अर्जन से मुक्त कराने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन मानचित्र दिनांक 2-1-84 को स्वीकृत किया गया और 22-9-87 को उपर्युक्त मानचित्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया इस बीच प्रशनगत स्थल अर्जित हो चुका है । प्रार्थी श्री रामबल द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनका भवन निर्माण अग्रिम उनके मुख्यालय से स्वीकृत हो चुका है और वह उनको तभी प्राप्त हो सकता है जब प्रशनगत मानचित्र प्राधिकरण द्वारा पुनः नवीनीकरण कर दिया जायेगा । यह निर्णय लिया गया कि मानचित्र से सम्बन्धित भूमि का योजना में लीज अनुबन्ध कर समायोजित कर लिया जाये ।

### मद संख्या - 8

मानचित्र सं०-384/87 में दी गयी छूट के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश सरकारी उपभोक्ता संघ लि० द्वारा 2450 वर्गमीटर को गोदाम हेतु एक मानचित्र प्रस्तुत किया । उक्त मानचित्र से सम्बन्धित भूखण्ड के क्षेत्रफल पर प्राधिकरण को कुल 2,56,687.20 विकास शुल्क देय है । क्षेत्रीय प्रबन्ध उपभोक्ता संघ द्वारा यह अवगत कराया कि यह गोदाम विश्व बैंक परियोजना द्वारा बनाया जा रहा है और गोदाम निर्माण के लिये आबंटित धनराशि में विकास शुल्क का कोई प्राविधान नहीं है । संघ के गोदाम की आवश्यकता को देखते हुए 25 प्रतिशत धनराशि लेकर प्लान इस शर्त पर स्वीकृत किया गया कि विकास प्राधिकरण का जो भी निर्णय होगा उसी के अनुसार धनराशि उनके द्वारा प्राधिकरण में जमा कर दी जायेगी, क्योंकि उपभोक्ता सहकारी संघ लि० एक अर्द्ध सरकारी संस्था है । प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उनसे प्रचलित दर का 50 प्रतिशत विकास शुल्क जमा करा लिया जाये क्योंकि संघ द्वारा 25 प्रतिशत विकास शुल्क ₹० 64,171.80 जमा कर दिया

गया । अतः 25 प्रतिशत और धनराशि विकास व्यय के मद में जमा करा ली जाये ।

### **मद संख्या - 9**

मानचित्र सं०- 20/87 में विकास शुल्क एवं शमन शुल्क की छूट के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में विकास शुल्क एवं शमन शुल्क में छूट दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

### **मद संख्या - 10**

रक्षापुरम आवासीय योजना में नाले व कैन्ट की सीमा के बीच की भूमि का भूउपयोग परिवर्तन ।

रक्षापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत 196.16 एकड में से 69.52 एकड भूमि के भूउपयोग महायोजना के अनुसार पी-4 अर्थात् ग्रीन बैल्ट है और उसके आसपास में पुरानी आबादी है । इस स्थल के चारों ओर आवासीय कालोनी विकसित हैं अतः यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर आबादी को सजरे परअंकित कर रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

### **मद संख्या - 11**

शासन से प्राप्त आदर्श नियमावली को अंगीकार किया जाना ।

शासन द्वारा प्रस्तुत आदर्श नियमावली पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहयुक्त नियोजक, प्राधिकरण के वास्तुविद नियोजक तथा स्थानीय आर्कीटैक्ट एशोसिएशन के सदस्य इस नियमावली का अध्ययन करें तथा इसको अंगीकार करने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । इसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जाये ।

## **मद संख्या - 12**

### **ट्रांसपोर्ट एवं मण्डी समिति क्षेत्र के जोनल प्लान सं०-७ पर विचार ।**

जोनल प्लान सं०-७ के सम्बन्ध में भूउपयोग सर्वेक्षण को प्राधिकरण के सम्मुख विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इस सर्वेक्षण रिपोर्ट से सहमत न होते हुए पुनः विस्तृत सर्वेक्षण किये जाने की राय दी । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशनगत स्थल की जनसंख्या के हिसाब से सामुदायिक सुविधा तथा यातायात को दर्शाते हुए सर्वेक्षण तैयार कर पुनः प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाये ।

## **मद संख्या - 13**

जी०टी० रोड से पावली खास रेलवे स्टेशन तक के कच्चे मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मार्ग का निर्माण प्राधिकरण द्वारा मोदी रबर लि० के खर्च पर कराया जाये । जहाँ तक सम्बन्धित भूमि अर्जन का प्रशन है उसको सम्बन्धित भूस्वामियों से बातचीत द्वारा तय कर दिया जाये । बातचीत हेतु मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य अधियन्ता/संयुक्त सचिव एवं स्थानीय परगनाधिकारी की एक कमेटी बना दी जाये तथा यह कमेटी अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें । मोदी रबर लि० से इस हेतु बाँछित धनराशि अग्रिम में जमा करा ली जाये ।

## **मद संख्या - 14**

मैसर्स मोदी रबर लिमिटेट को अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि दिया जाना ।

मोदी रबर लिमिटेड को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-1-85 में चैरिटेबिल अस्पताल के निर्माण हेतु सैकटर दर से 50 प्रतिशत की दर से आबंटन की सहमति दी गयी थी । बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

### **मदसंख्या - 15**

ग्राम हाफिजाबाद मेवल के खसरा नं०- 129, 129, 153, 159,160 व 161 का भूउपयोग औद्योगिक एवं कृषि हरित पट्टी से आवासीय किये जाने हेतु मै० रणवीर सिंह के प्रार्थना-पत्र पर विचार ।

प्रश्नगत स्थल के भूउपयोग के परिवर्तन प्रस्ताव पर विचार किया गया विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इसके स्थल को सजरा प्लान पर अंकित कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचार विमर्श हेतु रखा जाये ।

### **मद सं०-16**

मौजा मुकर्बपुर पल्हेडा, लिं०-मेरठ स्थित खसरा सं०-119, 120,124,122 व 123 का भूउपयोग कृषि हरित पट्टी से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु मै० अजन्ता एन्टरप्राईज़िज के प्रार्थना-पत्र पर विचार ।

इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

### **मद सं०-17**

मेरठ मवाना रोड पर प्राधिकरण की गंगानगर योजना में प्रस्तावित राजेन्द्रपुरम कालोनी के तलपट मानचित्र सं०-133 के समायोजन पर विचार ।

विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रस्ताव शासनादेश सं०-4480/37-2-86 दिनाँक 27 अक्टूबर 1986 की परिधि में नहीं आता है अतः इस प्रकरण में शासन को निर्णय हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये ।

### **मद संख्या - 18**

**प्राधिकरण की रक्षापुरम योजना में मीनाक्षीपुरम एन्क्लेब एफ और जी ब्लाक की भूमि के समायोजन पर विचार।**

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि तलपट मानचित्र विकास प्राधिकरण का अर्जन प्रस्ताव स्वीकृत होने के पूर्व प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर दिया गया था। अतः तलपट मानचित्र का लीज अनुबन्ध निष्पादित कर योजना में समायोजित कर दिया जाये तथा लीज का प्रारूप तैयार कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ रखा जाये।

### **मद संख्या - 19**

**मैसर्स अग्रवाल एन्टरप्राइजेज की ग्रीन पार्क कालोनी के तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।**

यह निर्णय लिया गया कि प्रशनगत बिषय शासन को निर्णय हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये।

### **मद संख्या - 20**

**सर्वश्री अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को अमन बिहार कालोनी के तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।**

यह निर्णय लिया गया कि प्रशनगत बिषय शासन को निर्णय हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये।

### **मद संख्या -21**

**प्राधिकरण की दिल्ली रोड पर स्थित इन्डस्ट्रियल योजना में मंगतपुरम आवासीय योजना के तलपट मानचित्र के समायोजन पर विचार।**

यह निर्णय लिया गया कि मंगतपुरम योजना के तलपट मानचित्र को लीज के आधार पर विकास प्राधिकरण की योजना में समायोजित कर लिया जाये तथा इनसे नियमानुसार देय विकास शुल्क लेकर तलपट मानचित्र की स्वीकृति पर विचार किया जाये।

### **मद संख्या - 22**

**दिनांक 24-12-86 से पूर्व जमा तलपट मानचित्रों हेतु विकास शुल्क का निर्धारण।**

विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

### **मद संख्या - 23**

**ख्याति प्राप्त (राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय) खिलाड़ियों को रियायती दर पर प्लाट/ भवन का आबंटन।**

विचार विमर्श उपरान्त यह तय किया गया कि श्री सिंधारा सिंह के पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह का योजना में पंजीकरण नहीं है। अतः इस प्रस्ताव पर स्वीकृति देना सम्भव नहीं है। यदि विकास प्राधिकरण में वह पंजीकरण कराते हैं तो उनके पंजीकरण के आधार पर उनको भवन/ भूखण्ड रियायती दर पर आबंटित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

### **मद संख्या - 24**

**मेरठ मैनेजमैन्ट एसोसिएशन की पल्लवपुरम में आबंटित भूमि की बढ़ी दर न लेकर पूर्व दर रु० 100/- प्रति वर्गमीटर पर ही आबंटन का प्रस्ताव।**

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मेरठ मैनेजमैन्ट एसोसिएशन पूर्व अनुमोदित रु० 130/- की दर से भूमि की कीमत जमा कराकर आबंटित किया जाये।

रु०/-

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।